246

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर(म.प्र.)

R.2873-I/14

प्र.क्रं. / 014 आ.मा.

1. वनै सिंह,
2. शैलेंन्द्रसिंह --पुत्रगण प्रतापसिंह, दोनो वालिग, दोनो जाति-राजपूत, निवासीगण -ग्राम खड़ेर, तहसील-नटेरन, ज़िला-बिदिशा(म.प्र.) ....अपीलांट्स

बनाम

दिनांक 2-9-14 को आर० बी० शर्मा द्वारा प्रस्तुत।

Fee 2-9-14 SO

1. बावूसिंह पुत्र उरेर सिंह,
2. देवेंन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह, -- दोनो जाति-राजपूत, निवासीगण-ग्राम खड़ेर, तहसील-नटेरन, जिला-बिदिशा(म.प्र.)
3. महेश बावू, वालिग, पुत्र प्रेमचंद साहू, निवासी - ग्राम बराई, तहसील - हजुर जिला-भोपाल, (म.प्र.)
4. निरंजन सिंह वालिग, पुत्र रमेश जाति-कुर्मी, निवासी ग्राम-खड़ेर, तहसील - नटेरन, जिला बिदिशा(म.प्र.)

...............रिस्पोंडेंन्ट्स

1. निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
2. विरूद्ध आदेश दिनांक 08.08.2014 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नटेरन, जिला-बिदिशा(म.प्र.) व मामले बनेसिंह बनाम बावूसिंह, ग्राम खड़ेर, तह.नटेरन जिला-विदिशा(म.प्र.).
3. तहसीलदार, तहसील नटेरन जिला-विदिशा(म.प्र.). प्र.क्रं.54/अ-6/12-13, ग्राम-खड़ेर तहसील गंजबासौदा जिला-बिदिशा(म.प्र.).

श्रीमानजी,

निगरानी इस प्रकार है :-

1. आवेदकगण ने तहसीलदार महोदय, तहसील नटेरन में ग्राम खड़ेर, तह. नटेरन के भूमि सर्वे क्रं. 361 रकवा 1.254हैक्ट., 528 रकवा 0.419हैक्ट., 530 रकव 3.334हैक्ट., उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता की थी, और सींलिग प्रकरण में अनावेदकों के हक में हुये विक्रयपत्रों को माननीय दीवानी न्यायालय से निरस्त घोषित किया गया। जो माननीय उच्च न्यायालय प्र.क्रं. 121/79, आदेश दिनांक 30.09.1980. तक से कायम रहा, और उसी के पालन में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी प्र.क्रं. 609अ-90/वी-3/74-75 से उक्त भूमि के संबंध में -

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - विदिशा

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2873-एक/18

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	